# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2810/2025**

कैलाश चंद साल्वी

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर जोन, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 16.05.2025
**आदेश की दिनांक** : 06.06.2025

**अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता**

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक, विज्ञान के पद पर वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध उसकी पदोन्नति पर विचार न करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी है और उसे 2014–15 की रिक्ति के विरुद्ध गलत तरीके से पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया है और न ही उस पर निर्णय लिया है, खासकर 24.12.2024 के नवीनतम अभ्यावेदन पर। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को प्रारंभ में दिनांक 23.3.2005 के आदेश के तहत शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और उक्त आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने 15.4.2005 को शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–2 एवं 3) अपीलार्थी के पास गणित की योग्यता थी तथा बाद में उसने विज्ञान की योग्यता भी प्राप्त कर ली थी तथा अपीलार्थी का विषय विज्ञान माना गया तथा विज्ञान विषय के आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 4.11.2009 के आदेश द्वारा प्राथमिक आधार पर वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर पदोन्नत किया गया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी मूलतः वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत रहते हुए, दिनांक 27.7.2013 के आदेश द्वारा वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर पदोन्नत किया गया। (अनुलग्नक–5) दिनांक 27.7.2013 के आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वह

पहले से ही वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत था और अपीलार्थी ने प्रतिवादियों की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर पदोन्नति करने का अनुरोध किया, लेकिन अपीलार्थी के अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर दिनांक 11.11.2016 के आदेश के तहत पदोन्नत किया गया, लेकिन अपीलार्थी को 2011–12 के बजाय 2014–15 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया। (अनुलग्नक–6) दिनांक 11.11.2016 के पदोन्नति आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 18.11.2016 को वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। (अनुलग्नक–7) अपीलार्थी की वरिष्ठता 19374/71–06 है, लेकिन उसे 2014–15 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर पदोन्नत किया गया था, जबकि अपीलाार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति जिनकी वरिष्ठता संख्या 19895/71–06 और 1994/71–06 है, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं, उन्हें 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध 27.7.2013 के आदेश के तहत पदोन्नत किया गया था। (अनुलग्नक–8) अपीलार्थी ने 24.8.2016 को तत्काल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 की रिक्ति के स्थान पर गलत तरीके से पदोन्नत किया गया है, लेकिन उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। (अनुलग्नक–9)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ वर्ष 2014–15 के बजाय वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक, विज्ञान के पद पर पदोन्नत किया जाए एवं अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर नियुक्त करने के पश्चात, उसे वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर पदोन्नति के साथ–साथ सभी परिणामी लाभों के साथ व्याख्याता के पद पर आगे पदोन्नति के लिए भी विचार किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त

होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**